

राजस्थान शासन मंडल, जयपुर ।

श्रीकृष्णपा. ॥ १६०८/अतिवि. ३०.२.५ तितिवि. ११.१.२००८,

कायांत्रिय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड यिकिट्सा अधिनियम १९७० के तहत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को यिकिट्सा तुविधानों में विस्तार करते हुए पञ्चन्तरि हातिपटल एण्ड रिसर्व ऐन्टर, ६७/५६, मन्दारा लग स्टेन्ड के पास, न्यू ताँगानेर रोड, गानसरोवर, जयपुर को मंडल द्वारा निर्धारित तामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के साथ यिकिट्सा उपयोग हेतु आन्यता दी जाती है:-

विशेष शर्तेः -

- १। हातिपटल में बर्हिंगम रोगों (बो. डो. डो.) / आन्तरिक रोगों के स्पष्ट में भर्तों होने पर कुल देय राशि में १० प्रतिशत लो. छूट देव होगों ।
- २। इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें जो मंडल द्वारा अन्य प्राइवेट हातिपटलों पर लागू हैं, इन पर भी लागू होगों ।

उपरोक्त आदेशों को अधिक महोदय का अनुभोदन प्राप्त है तथा भैल के निर्णय लो पूर्व असेक्षा में जारी किया जाता है ।

*संग्रहीत
संग्रहीत*

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु देखिए हैः -

१. निजो संचित-अधिक/आवासन ग्राम्यक/मुद्रा अभियंता, रा. आ. : , जयपुर
२. वरिष्ठ निजो सहायक-संचित/वि. स. एवं पु. ले. अ. /अति. गु. ३०, ..., रा. आ. : , ज
३. उप आवासन ग्राम्यक, तृतीय...
४. आवासोप अभियंता, खण्ड...
५. लेखा धिकारी, वित्त/कुण्डान, रा. आ. : , जयपुर
६. सासा अधिकारी/ तमस्त्र प्रबोल्ह ॥
७. निवास, धनसंतारे हाईकोर्ट एन्ड रिकर्स एन्ड, एन्ड एन्ड, निवास एन्ड स्टेन्ड के पास, न्यू ताँगानेर रोड, गानसरोवर, जयपुर
८. रक्षितपत्रावलो/वोटिंग बोर्ड

संग्रहीत